प्र.सं. 73/2021 मनोहरलाल के बजाय राजकुमार व अन्य बनाम दिनेश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काया, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 3515 व 3518 कुल किता 2 रकबा 1.7700 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य की होकर वादी का 2/36 वां हिस्सा है, जो वादी द्वारा दिनांक 10.12.2014 व 14.02.2015 को खातेदार गोपाल एवं देवेन्द्र गुर्जर से क्रय किया गया है, जिसका विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत होकर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अतः उक्त आराजियात का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.06.2016 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 09.06.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, किन्तु वक्त बहस रेस्पोन्डेन्टगण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को [illegible] शामिल कराये बिना एकतरफा कार्यवाही कर अंतिम [illegible] की गई है, जिसकी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:34 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 06.08.2021 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ 2015 Page 482, RBJ 2006 Page 796, CT 2010 (2) Page 689 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट की तामिल ही नहीं हुई थी तथा बिना प्रोपर तामिल के को एकतरफा कार्यवाही करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गयी है। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये तथा बंटवारा सूची बनाये जाने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी है। बंटवारा रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, जो एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है। बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा तहसीलदार स्वयं अपीलान्ट की मौजूदगी में बंटवारा नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2014 (1) Page 258, RRT 2011-12 (Supp.) Page 698, RRT 2017 (1) Page 689 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो फर्द बंटवारा उपलब्ध है, उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात उक्त फर्द बंटवारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:34 IST
Reason: SelfAttested

तैयार किया गया है तथा फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर तहसीलदार गिर्वा को नियुक्त किया गया था। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। तहसीलदार अपनी शक्तियां किसी दूसरे को डेलीकेट नहीं कर सकते। उक्त विभाजन में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 129/2015 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा स्वयं पक्षकारों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में मौके पर कब्जे व हिस्से को ध्यान में रखते हुए बंटवारा नियम 18 से 21 अनुसार फर्द बंटवारा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:34 IST
Reason: SelfAttested